कार्यालय जिला न्यायाधीश (नजारत अनुभाग), अलीगढ़

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 5567/Admin. (B-I) Section, Allahabad: Dated: August 28, 2025 के अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय के आदेश दिनांकित 30.08.2025 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत जनपद न्यायालय, अलीगढ़ में **निष्प्रयोज्य पड़े फर्नीचर (लकड़ी, लोहे, प्लास्टिक आदि) के सामान एवं अन्य उपकरण** की नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही दिनांक **12.09.2025** को सायं **04:30** बजे जनपद न्यायालय अलीगढ़ परिसर के लाइब्रेरी भवन स्थित सभागार में की जायेगी । उक्त निष्प्रयोज्य फर्नीचर/उपकरण आदि का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाता द्वारा केन्द्रीय नाजिर के सहयोग से समय **11:00 AM** से **03:00 PM** के मध्य किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है । बतौर जमानत धनराशि **मु० 2,500/- रूपये** नीलामी की तिथि को **11:00 PM से 02:00 PM** तक जमा करने के पश्चात बोली बोलने का अधिकार प्राप्त होगा । नीलामी की न्यूनतम बोली अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई यॉंत्रिक खण्ड, लो०नि०वि०, अलीगढ़ के पत्रांक 727/ 1A/ 2024-25 दिनांकित 25.07.2025 द्वारा निर्धारित मूल्य रू० **9,687/-** से प्रारम्भ होगी । नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना **आधार कार्ड / पहचान पत्र** व **स्वप्रमाणित फोटो** की प्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा नीलामी के समय **मूल दस्तावेज** लेकर आना अनिवार्य होगा । उक्त नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तों की अधिक जानकारी मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिकृत वेबसाइट **https://www.allahabadhighcourt.in**, जनपद न्यायालय, अलीगढ़ की अधिकृत बेवसाइट **https://aligarh.dcourts.gov.in** एवं शासकीय बेवसाइट **https://aligarh.nic.in** से व केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, अलीगढ़ से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती हैं ।

दिनांक:- 02.09.2025

02/9/2025

(सुभाष चन्द्रा-VIII)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. एक्ट)
अलीगढ़ ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. नोडल ऑफिसर कम्प्यूटर्स को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति / सूचना को जिला न्यायालय, अलीगढ़ एवं मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।
3. सूचना निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1607/Admin. (B-I) Sec. dated: Allahabad: May 10, 2024 द्वारा निर्गत दिशानिर्देशानुसार शासनादेश सं० 562/19-02-2007-1007/74(T.C.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप उक्त विज्ञप्ति/सूचना का प्रकाशन अलीगढ़ से प्रकाशित होने वाले कम से कम दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति / सूचना को https://aligarh.nic.in की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
5. जनपद न्यायालय, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु ।
6. वाह्य न्यायालयों एवं ग्राम न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
7. सिविल व फौजदारी बार एसोशियेशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु ।
8. कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु ।
9. नगर निगम, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु ।
10. भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
11. जिला पंचायत, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

02.09.2025

(सुभाष चन्द्रा-VIII)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. एक्ट)
अलीगढ़ ।

जनपद न्यायालय अलीगढ़ में निष्प्रयोज्य पड़े फर्नीचर (लकड़ी, लोहे, प्लास्टिक आदि) एवं अन्य उपकरण की नीलामी के सम्बन्ध में नीलामी समिति की बैठक दिनांकित 30.08.2025 का कार्यवृत्त ।

जनपद न्यायालय अलीगढ़ में निष्प्रयोज्य पड़े फर्नीचर (लकड़ी, लोहे, प्लास्टिक आदि) के सामान एवं अन्य उपकरण की नियमानुसार नीलामी किये जाने के सम्बन्ध में आज दिनांक 30.08.2025 अपराह्न 01:30 बजे नीलामी समिति की बैठक मेरे विश्राम कक्ष में आयोजित की गई । बैठक में समिति के सदस्यगण श्री राकेश वशिष्ठ, विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट) अलीगढ़ एवं श्री संजय कुमार यादव-I, अपर जिला जज, कोर्ट सं०-04, अलीगढ़ उपस्थित आये । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय नाजिर मय अभिलेख उपस्थित रहे ।

समिति के कार्यवृत्त दिनांकित 12.08.2025 में की गयी संस्तुति को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 12.08.2025 से अनुमोदित किया गया है, जिसके अनुक्रम में जिला न्यायालय के प्रेषित पत्रांक 3162/XV-सिविल, अलीगढ़ दिनांकित 12.08.2025 द्वारा **जनपद न्यायालय, अलीगढ़ में निष्प्रयोज्य पड़े फर्नीचर एवं अन्य उपकरण आदि** की नीलामी के सम्बन्ध में उचित दिशानिर्देश जारी करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से पत्राचार किया गया है । जिसके प्रतिउत्तर में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का पत्रांक 5567/Admin. (B-I) Section, Allahabad: Dated: August 28, 2025 प्राप्त हुआ है ।

समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 5567/Admin. (B-I) Section, Allahabad: Dated: August 28, 2025 का अवलोकन किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत दिशानिर्देश निम्नवत है :-

> **"..... The Hon'ble Court has been pleased to grant you permission to proceed with the auction of the unusable items in accordance with the report bearing No. 727/1A/2024-25 Dated 25.07.202, submitted by the office of the Executive Engineer, Temporary Machanical Division, PWD, Aligarh while complying with the relevant rules relating to auction and thereafter deposit the proceeds thereof under appropriate head of account"**

तत्सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई यॉंत्रिक खण्ड, लो०नि०वि०, अलीगढ़ के पत्रांक 727/ 1A/ 2024-25 दिनांकित 25.07.2025 में संलग्न की गयी रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जनपद न्यायालय, अलीगढ़ में निष्प्रयोज्य पड़े फर्नीचर एवं उपकरण आदि का निरीक्षण सहायक अभियन्ता (वि०/यॉं) से कराने के उपरान्त निष्प्रयोज्य पड़े फर्नीचर के रेट्स का निरीक्षण/मूल्यॉंकन किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	सामग्री का नाम	सामग्री की संख्या	प्रति यूनिट भार (In Kg Approx.)	कुल भार (In Kg)	दर/Kg (रू० में)	कुल रूपये
1	2	3	4	5	6	7
1	लकड़ी की टूटी एवं दीमक लगी हुई कुर्सियाँ (निष्प्रयोज्य)	87	7	609	6.00	3654.00
2	लकड़ी की टूटी एवं दीमक लगी अलमारी मध्यम आकार की (निष्प्रयोज्य)	11	28	308	6.00	1848.00
3	मेज लोहे की व लकड़ी की टूटी फूटी निष्प्रयोज्य	6	लोहा=15	90	36.50	3285.00
			लकड़ी=11	66	6.00	396.00
4	लकड़ी की बैंच 03 सीटर (निष्प्रयोज्य)	3	12	36	6.00	216.00
5	लकड़ी की बैंच 04 सीटर (निष्प्रयोज्य)	3	16	48	6.00	288.00
	Total					**9687.00**

समिति द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया । विचार-विमर्श उपरान्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उक्त रिपोर्ट में उल्लिखित न्यूनतम नीलामी मूल्य से वर्तमान में बाजार मूल्य एवं नीलामी स्पर्धा में अधिक मूल्य आने की संभावना है । ऐसी परिस्थितियों में उक्त निष्प्रयोज्य पड़े फर्नीचर एवं अन्य उपकरण आदि की नीलामी कराये जाने हेतु उक्त विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त राजकीय विभागों के सूचना पटल के माध्यम से तथा कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन करा कर किया जा सकता है, जिस हेतु नियम व शर्ते समिति द्वारा निम्नवत प्रस्तावित की जा रही हैं :-

<u>**जनपद न्यायालय अलीगढ़ में निष्प्रयोज्य पड़े फर्नीचर (लकड़ी, लोहे, प्लास्टिक आदि) एवं अन्य उपकरण की नीलामी हेतु नियम व शर्तें**</u>

वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत जनपद न्यायालय, अलीगढ़ के मुख्य भवन स्थित कक्ष सं०-18 तथा उसके बाहर गैलरी में **निष्प्रयोज्य पड़े फर्नीचर (लकड़ी, लोहे, प्लास्टिक आदि) के सामान एवं अन्य उपकरण** की नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही **दिनांक 12.09.2025 को सायं 04:30 बजे** जनपद न्यायालय अलीगढ़ परिसर के लाइब्रेरी भवन स्थित सभागार में की जायेगी । उक्त निष्प्रयोज्य फर्नीचर/उपकरण आदि का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाता द्वारा केन्द्रीय नाजिर के सहयोग से समय **11:00 AM से 03:00 PM** के मध्य किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है । इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों के अनुसार नीलामी की प्रक्रिया में बोली लगा सकता है :-

1. निष्प्रयोज्य फर्नीचर/उपकरण आदि की नीलामी **"जहाँ है, जैसा है"** के आधार पर की जायेगी ।
2. नीलामी की न्यूनतम बोली अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई यॉत्रिक खण्ड, लो०नि०वि०, अलीगढ़ के पत्रांक 727/ 1A/ 2024-25 दिनांकित 25.07.2025 द्वारा **निर्धारित मूल्य रू० 9,687/-** से प्रारम्भ होगी ।
3. प्रत्येक बोलीकर्ता को नीलामी में भाग लेने हेतु **जमानत धनराशि रु० 2,500/- (दो हजार पाँच सौ मात्र)** केन्द्रीय नजारत में केन्द्रीय नाजिर/कैशियर के पास नीलामी की तिथि को 11:00 PM से 02:00 PM तक जमा करनी होगी । यदि बोलीकर्ता के पक्ष में नीलामी स्वीकृत नहीं होती है तो नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति उपरान्त जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी ।
4. उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में नीलामी छोड़ी जायेगी ।
5. बोलीकर्ता की सर्वोच्च बोली की स्वीकृति उपरान्त शेष धनराशि 03 दिवस के अन्दर जमा करनी होगी । जिसके उपरान्त ही निष्प्रयोज्य फर्नीचर/उपकरण आदि को उठाने दिया जायेगा । यदि सर्वोच्च बोलीकर्ता शेष धनराशि 03 दिवस में जमा नहीं करता है, तो उसकी जमानत धनराशि जब्त करने के साथ ही शेष धनराशि शास्ति के तौर पर वसूल की जायेगी ।
6. यदि नीलामी के उपरान्त निष्प्रयोज्य फर्नीचर/उपकरण आदि में विभाग की कोई महत्वपूर्ण वस्तु आदि प्राप्त होती है, तो वह नीलामी-प्राप्तकर्ता द्वारा विभाग को वापस करनी होगी ।
7. नीलामी-प्राप्तकर्ता अपने स्वयं के खर्च पर उक्त निष्प्रयोज्य फर्नीचर/उपकरण आदि को नीलामी स्थल से ले जायेगा ।
8. नीलामी-प्राप्तकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा निष्प्रयोज्य फर्नीचर/उपकरण आदि की अन्तिम निकास अवधि तक किये गये कृत्य से अथवा किसी अन्य प्रकार से सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की दशा में हुई क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं नीलामी-प्राप्तकर्ता की होगी।
9. नीलामी की अन्तिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ का होगा।
10. माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियों में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है ।
11. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड / पहचान पत्र व स्वप्रमाणित फोटो की प्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा नीलामी के समय मूल दस्तावेज लेकर आना अनिवार्य होगा ।
12. नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय, अलीगढ़ होगा ।
13. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में निष्प्रयोज्य फर्नीचर/उपकरण आदि की नीलामी द्वारा विक्रय रद्द समझा जायेगा ।

तदानुसार, जनपद न्यायालय,अलीगढ़ में निष्प्रयोज्य पड़े फर्नीचर (लकड़ी, लोहे, प्लास्टिक आदि) के सामान एवं अन्य उपकरण की नियमानुसार नीलामी किये जाने हेतु आज दिनांक 30.08.2025 का कार्यवृत्त माननीय महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित है ।

30/8/25	30-8-25	30.8.2025
(संजय कुमार यादव-I)	(राकेश वशिष्ठ)	(सुभाष चन्द्रा-VIII)
सदस्य, नीलामी समिति /	सदस्य, नीलामी समिति /	अध्यक्ष, नीलामी समिति /
अपर जिला जज, कोर्ट सं०-04,	विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट)	विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)
अलीगढ़ ।	अलीगढ़ ।	अलीगढ़ ।

Approved
30/08/2025
Distt. & Sess's Judge
ALIGARH